EPFO का सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान: सेवानिवृत्ति-धन अब किस्तों में, न्यूनतम शेष 10%

श्रम • सामाजिक सुरक्षा | GS-II/GS-III | समाचार-संदर्भ: 19 नवंबर 2026 (CBT की 240वीं बैठक)
प्रिलिम्स: EPFO, CBT, EDLI, सामाजिक सुरक्षा


मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की **केंद्रीय न्यासी परिषद (CBT) की 240वीं बैठक** में सेवानिवृत्ति-बचत को एकमुश्त निकालने के बजाय **किस्तों में निकालने की सुविधा - सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP)** को मंजूरी मिली। साथ ही EPF निकासी में बड़ी ढील: न्यूनतम शेष-अपेक्षा 25% से घटाकर 10% और अंतिम निकासी की प्रतीक्षा-अवधि 12 माह से घटाकर 2 माह।

SWP के प्रमुख बिंदु

- **कैसे काम करेगा**: सेवानिवृत्त सदस्य अपनी संचित PF राशि मासिक, त्रैमासिक या छमाही किस्तों में निकाल सकेंगे; शेष कोष पर ब्याज/प्रतिफल बना रहेगा। सुविधा पूरी तरह **ऐच्छिक** है।
- **संभावित लाभार्थी**: शुरुआती चरण में लगभग **6.32 लाख** ऐसे 55 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य, जिनकी PF जमा ₹5 लाख से अधिक है।
- **मृत्यु-स्थिति**: भुगतान-अवधि में सदस्य की मृत्यु पर नामिती/आश्रित शेष राशि निकाल सकेगा या किस्तें जारी रख सकेगा।
- **नई योजनाएँ**: UAN से जुड़े प्रत्यक्ष स्वैच्छिक अंशदान और तृतीय-पक्ष लघु-अंशदान (जैसे ग्राहकों द्वारा दी गई बख्शीश) की व्यवस्था भी प्रस्तावित - पारंपरिक पेरोल से स्वतंत्र; EPF योजना में संशोधन अधिसूचित होंगे और आयकर अधिनियम में संशोधन वित्त मंत्रालय से लिया जाएगा।

बैठक के अन्य निर्णय

- **EDLI छूट-मामलों में राहत**: EDLI योजना 2026 में संशोधन - लंबित पुराने छूट-मामलों का निपटारा, समाप्त छूटों के नवीनीकरण की छह-माह की खिड़की, सत्यापित संक्रमण-अवधि के लिए अंशदान, ब्याज और दंडात्मक क्षतिपूर्ति से राहत।
- **AIF में निवेश**: मौजूदा निवेश-सीमा के भीतर नई जमा-राशि (fresh accretion) का 3% तक पात्र वैकल्पिक निवेश कोषों (AIF) में निवेश की **सैद्धांतिक (in-principle) स्वीकृति** - शुरुआत सरकार-समर्थित संस्थाओं से।
- **छूट-समर्पण**: 27 प्रतिष्ठानों के छूट-समर्पण और 4 के छूट-निरस्तीकरण से लगभग ₹5,996 करोड़ (1,44,437 सदस्य) EPFO के प्रत्यक्ष प्रशासन में आएंगे।
- **CITES 2.0**: दावों का स्वतः-प्रसंस्करण 39% से 71%, अस्वीकृति-दर 23% से 7.82%, औसत निपटान-समय 11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: CBT ने EPF सदस्यों के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को मंजूरी दी है, जो पूरी तरह ऐच्छिक होगा
कथन 2: EPF में न्यूनतम शेष-अपेक्षा 25% से बढ़ाकर 30% की गई है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) SWP ऐच्छिक किस्त-निकासी की सुविधा है; न्यूनतम शेष 25% से घटाकर 10% किया गया है, बढ़ाया नहीं।

प्रश्न 2: कर्मचारी भविष्य निधि की केंद्रीय न्यासी परिषद (CBT) के संदर्भ में सही कथन चुनिए:

(a) यह EPFO की शीर्ष निर्णय-निकाय है जिसमें सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी-प्रतिनिधि होते हैं

(b) इसका गठन नीति आयोग के अधिनियम से हुआ है

(c) यह केवल पेंशन-योजना देखती है, PF नहीं

(d) इसमें नियोक्ता और कर्मचारी-प्रतिनिधि शामिल नहीं होते

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) CBT त्रि-पक्षीय (सरकार-नियोक्ता-कर्मचारी) शीर्ष निकाय है; यह EPF, EPS और EDLI तीनों योजनाएँ देखती है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: "सेवानिवृत्ति-बचत को एकमुश्त निकासी से किस्त-आधारित आय की ओर ले जाना सामाजिक सुरक्षा की नई दिशा है।" EPFO के SWP प्रस्ताव के आलोक में परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा
भूमिका - भारत में सेवानिवृत्ति-सुरक्षा की चुनौती।
मुख्य भाग - SWP की व्यवस्था और लाभ (नियमित आय, पुनर्निवेश-जोखिम में कमी, कोष-स्थिरता); ऐच्छिकता और परिवार-सुरक्षा; गिग-श्रमिकों तक विस्तार की संभावना; चुनौतियाँ (जागरूकता, कर-उपचार)।
निष्कर्ष - सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कदम।

FAQ

संक्षिप्त उत्तर: CBT की 240वीं बैठक में EPF सदस्यों के लिए किस्त-आधारित निकासी (SWP) मंजूर हुई; न्यूनतम शेष 10% और प्रतीक्षा-अवधि 2 माह की गई।

प्रश्न: SWP किसके लिए खुलेगा?

सेवानिवृत्त EPF सदस्यों के लिए; शुरुआत में लगभग 6.32 लाख सदस्य (55+ आयु, ₹5 लाख से अधिक जमा) मुख्य लाभार्थी अनुमानित हैं।

प्रश्न: क्या SWP अनिवार्य होगा?

नहीं, सुविधा पूरी तरह ऐच्छिक है; पात्र परिजनों/लाभार्थियों तक विस्तार भी प्रस्तावित है।

प्रश्न: CITES 2.0 से क्या सुधार हुआ?

दावों का स्वतः-प्रसंस्करण 39% से 71% हुआ, अस्वीकृति-दर 23% से घटकर 7.82% और औसत निपटान-समय 11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन रह गया।

स्रोत

1. PIB/श्रम और रोजगार मंत्रालय, CBT की 240वीं बैठक (19 नवंबर 2026): https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2338667
2. EPFO, administrative setup (CBT tripartite body): https://pmvbry.epfindia.gov.in/wp-content/uploads/2025/11/MAP_PartI_Complete.pdf